

63
19/5/15 II



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 23, बुधवार, शाके 1937-मई 13, 2015
Vaisakha 23, Wednesday, Saka 1937-May 13, 2015

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचनायें

जयपुर, मई 11, 2015

संख्या प.8(ग)(21)नियम/डीएलबी/14/5962:- राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(11)नियम/डीएलबी/2001/ 67498 दिनांक 15-07-03 द्वारा गठित निम्न अपील किराया अधिकरणों के क्षेत्राधिकार में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

क्र. सं.	वर्तमान न्यायालय का नाम	अपील किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	जिला एवं सत्र न्यायालय, अजमेर	अपील किराया अधिकरण, अजमेर	जिला मुख्यालय पालिका क्षेत्र अजमेर, नगर पालिका क्षेत्र किशनगढ़ व ब्यावर।
2.	जिला एवं सत्र न्यायालय, अलवर	अपील किराया अधिकरण, अलवर	जिला मुख्यालय पालिका क्षेत्र अलवर।
3.	अपर जिला न्यायालय, बाडमेर	अपील किराया अधिकरण, बाडमेर	जिला मुख्यालय पालिका क्षेत्र बाडमेर व नगर पालिका क्षेत्र बालोतरा
4.	जिला एवं सत्र न्यायालय, करौली	अपील किराया अधिकरण, करौली	जिला मुख्यालय पालिका क्षेत्र करौली व नगर पालिका क्षेत्र हिण्डैनसिटी
5.	जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरु	अपील किराया अधिकरण, चूरु	जिला मुख्यालय पालिका क्षेत्र चूरु व नगर पालिका क्षेत्र रतनगढ़, सुजानगढ़।
6.	जिला एवं सत्र न्यायालय, श्रीगंगानगर	अपील किराया अधिकरण, श्रीगंगानगर	जिला मुख्यालय पालिका क्षेत्र श्रीगंगानगर व नगर पालिका क्षेत्र सूरतगढ़।
7.	जिला एवं सत्र न्यायालय, मेडता	अपील किराया अधिकरण, मेडता	जिला मुख्यालय पालिका क्षेत्र नागौर व नगर पालिका क्षेत्र मकराना।
8.	जिला एवं सत्र न्यायालय, सवाईमाधोपुर	अपील किराया अधिकरण, सवाईमाधोपुर	जिला मुख्यालय पालिका क्षेत्र सवाईमाधोपुर व नगर पालिका क्षेत्र गंगापुरसिटी।
9.	जिला एवं सत्र न्यायालय, सीकर	अपील किराया अधिकरण, सीकर	जिला मुख्यालय पालिका क्षेत्र सीकर व नगर पालिका क्षेत्र फतेहपुर।

जयपुर, मई 11, 2015

संख्या प.8(ग)(21)नियम/डीएलबी/14/6121:- राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे सारणी के स्तम्भ संख्या 2 में वर्णित न्यायालयों को उनके सामने स्तम्भ संख्या 3 में वर्णित किराया अधिकरण के रूप में गठित करती है, इनका क्षेत्राधिकार सारणी के स्तम्भ 4 में वर्णित अनुसार होगा:-

क्र. सं.	वर्तमान न्यायालय का नाम	किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या -1 किशनगढ़	किराया अधिकरण, किशनगढ़ जिला अजमेर	नगर पालिका क्षेत्र, किशनगढ़
2.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, ब्यावर	किराया अधिकरण, ब्यावर जिला अजमेर	नगर पालिका क्षेत्र, ब्यावर
3.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा	किराया अधिकरण, बालोतरा जिला बाडमेर	नगर पालिका क्षेत्र, बालोतरा

1	2	3	4
4.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	किराया अधिकरण, रतनगढ़ जिला चूरु	नगर पालिका क्षेत्र, रतनगढ़
5.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	किराया अधिकरण, सुजानगढ़ जिला चूरु	नगर पालिका क्षेत्र, सुजानगढ़
6.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़	किराया अधिकरण, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर	नगर पालिका क्षेत्र, सूरतगढ़
7.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी	किराया अधिकरण, हिण्डौनसिटी जिला करौली	नगर पालिका क्षेत्र, हिण्डौनसिटी
8.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना	किराया अधिकरण, मकराना जिला नागौर	नगर पालिका क्षेत्र, मकराना
9.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गंगापुरसिटी	किराया अधिकरण, गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर	नगर पालिका क्षेत्र, गंगापुरसिटी
10.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर	किराया अधिकरण, फतेहपुर जिला सीकर	नगर पालिका क्षेत्र, फतेहपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,
पुरुषोत्तम बियाणी,
निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।